

कार्यालय उप-निबन्धक द्वितीय सदर, सहारनपुर

वर्ष 2015

पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची

प्रभावी दिनांक 12.08.2015

प्रभावी दिनांक
12/08/2015

प्रभावी दिनांक
12/08/2015

कार्यालय कलेक्टर, सहारनपुर।

संख्या: /सी0आर0सी0 -दर सूची-15

दिनांक: अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन)(द्वितीय संशोधन) नियमावली-2014 के नियम-4 के अंतर्गत जनपद सहारनपुर के कार्यालय उप निबंधक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सदर सहारनपुर एवं कार्यालय उप निबंधक नकुड़, बेहट, देवबन्द, रामपुर मनिहारान के लिए कलेक्टर सहारनपुर द्वारा वार्षिक मूल्यांकन दर सूची को निर्धारित कर दिया गया है।

पुनरीक्षित दरें दिनांक 12 -08-2015 से प्रभावी होंगी।

(सैय्यद निजामुद्दीन)

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/

जिला निबंधक

सहारनपुर।

दिनांक: 11 अगस्त, 2015

90(1-11)

संख्या: /सी0आर0सी0-दर सूची-15

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।
2. आयुक्त/मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
3. विशेष कार्याधिकारी, कार्यालय जिलाधिकारी सहारनपुर।
4. अपर आयुक्त (प्रशासन/न्यायिक), सहारनपुर मंडल।
5. उप महानिरीक्षक, निबंधन, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
6. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रशासन सहारनपुर।
7. सहायक महानिरीक्षक, निबंधन सहारनपुर।
8. समस्त उप जिलाधिकारी, सहारनपुर।
9. समस्त तहसीलदार, सहारनपुर।
10. समस्त उप निबंधक, जनपद सहारनपुर को उनके उप जिला से संबंधित दर सूची की एक प्रति इस निर्देश के साथ कि दर सूची को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड कराये तथा दर सूची को प्रभावी किया जाना सुनिश्चित करें।
11. दर सूची की पत्रावली पर अनुरक्षणार्थ।

11/8/15
(सैय्यद निजामुद्दीन)

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/

जिला निबंधक


सहारनपुर।


प्रभावी दिनांक
12/08/2015

अनुक्रमणिका
मूल्यांकन सूची-उप निबंधक द्वितीय, सदर सहारनपुर।

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1-	भाग-1 (क) [प्रारूप-1] नगरीय क्षेत्र	01 - 16 तक
2-	भाग-1 (ख) अर्धनगरीय क्षेत्र	17 से 19 तक
3-	भाग-1 (ग) ग्रामीण क्षेत्र	20 से 21 तक
3-	भाग-02:- (प्रारूप-02) उप जिला उप निबंधक द्वितीय जनपद सहारनपुर के अधीन नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्णानक्रम में अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्ग मी०	22 से 32 तक
4-	प्रारूप-03:- नगरीय तथा अर्धनगरीय क्षेत्र के मुख्य मार्गों के रोड सैगमेन्ट पर पडने वाले मौहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषक भूमि, वाणिज्यक सम्पत्ति की किरायें की न्यूनतम दरें प्रति वर्ग मीटर में	33 से 39 तक
5-	प्रारूप-04:- प्रारूप 02 व 03 में दी गई दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की कृषक तथा अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यक सम्पत्ति की न्यूनतम दरें प्रति वर्ग मीटर (नगरीय एवं ग्रामीण)	40 से 62 तक
6-	गैर वाणिज्यिक भवनों की विभिन्न श्रेणी के निर्माण की दरें	63 से 64 तक
7-	सामान्य निर्देश	65 से 70 तक


अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर


कलक्टर
सहारनपुर


सहायक उप निबंधक द्वितीय
सहारनपुर